बिहार सरकार
(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग)
कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार
(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)
तृतीय तल, अरण्य भवन, शहीद पीर अली खाँ मार्ग, पटना–800 014
संख्या– FC/76/2021- 727

प्रेषक,

अरविन्दर सिंह, भा०व०से०,
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

सेवा में,

सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिर्वन विभाग,
बिहार सरकार, पटना। पटना 14, दिनांक– 16/10/2023

विषय– श्री अजय कुमार अकेला द्वारा सारण जिलान्तर्गत देवरिया मौजा के खाता संख्या–313, खेसरा संख्या–1366, थाना संख्या–264, थाना–रिविलगंज में NH-85 (New NH-531) छपरा–सीवान पथ के किनारे BPCL का रिटेल आउटलेट स्थापित करने के क्रम में पहुँच पथ निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.021 हे. वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करने के संबंध में।

प्रसंग– पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची का पत्रांक FP/BR/Approach/143991/2021/625, दिनांक 18.10.2022

महोदया,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र द्वारा वन भूमि अपयोजन की सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त हुई है। सैद्धान्तिक सहमति (Stage-I) पत्र में अधिरोपित शर्त्तों का अनुपालन प्रतिवेदन प्रयोक्ता एजेंसी के पत्र दिनांक 27.09.2023 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा प्राप्त हुआ है, जो निम्नवत है–

क्र० सं०	भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, राँची का पत्र दिनांक 18.10.2022 में निहित कंडिका	अनुपालन
A:	**Conditions which need to be complied prior to handing over of forest land by the Stae Forest Department.**	
1	The User agency shall transfer the const of raising and maintain the compensatory afforestation (100 trees plantation and maintenance for 10 year) at the current wage rate in consultation with state forest department in the account of CAMPA of the concerned State through online portal.	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा हरितावरण को बनाये रखने के लिए 100 वृक्षों के रोपण तथा उनके 10 वर्षों तक रख–रखाव हेतु रू० 8,65,161.00 (रू० आठ लाख पैसठ हजार एक सौ एकसठ) मात्र की राशि को बिहार राज्य हेतु निर्धारित Account No.- 1506270143991266, BIHAR CAMPA, Union Bank of India, Bengaluru में e-challan के माध्यम से फंड ट्रांस्फर कर दिनांक 26.09.2023 को जमा करा दी गई है, जिसका UTR No.- PUNBR52023092619335343 है । उक्त राशि Ministry website पर प्रदर्शित है।

Email-apccfcampa.bih@gmail.com; मो० 9473191728

2	The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 0.021 ha forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the order of the Hon'ble Supreme Court of India dated	NPV मद में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा 0.021 हे० अपयोजित होने वाली वन भूमि के लिये रू० 9,57,780/– प्रति हे० की दर से कुल रू० 20,113/– (बीस हजार एक सौ तेरह रूपये) मात्र की राशि को बिहार राज्य हेतु निर्धारित Account No.- 1506270143991266, BIHAR CAMPA, Union Bank of India, Bengaluru में e-challan के माध्यम से फंड ट्रांसफर कर दिनांक 26.09.2023 को जमा करा दी गई है, जिसका UTR No.- PUNBR52023092619335343 है । उक्त राशि Ministry website पर प्रदर्शित है।
3	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred deposited to CAMPA fund only through e-protal	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सभी प्रकार की राशि e-challan के माध्यम से फंड ट्रांसफर कर दिनांक 26.09.2023 को राशि जमा करा दी गई है (बैंक e-challan RTGS/ NEFT की विस्तृत विवरणी इस पत्र के साथ संलग्न)।
4	The FRA, 2006 certificate as per ministry's guidelines shall be submitted before the issuance of final approval	जिला पदाधिकारी, सारण द्वारा निर्गत FRA 2006 प्रमाण–पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।
5	The User agency shall be uploaded/submitted duly attested (with the signature of the concerned DFO and user agency) toposheet map with cleary delineated forest land proposed for diversion on it before the issuance of Stage-II approval.	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा विषयक प्रस्ताव से संबंधित टोपोशीट नक्शा पर प्रस्तावित स्थल को चिन्हित कर दिया गया है, जिसे वन प्रमंडल पदाधिकारी, सारण द्वारा अनुमोदित/हस्ताक्षर अंकित किया गया है। उक्त टोपोशीट नक्शा को प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा मंत्रालय द्वारा निर्धारित वेबसाईट पर अपलोड कर दिया गया है।
6	Violation of any of these conditions will amount to violation of forest (Conservation) Act, 1980	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि उनके द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नही किया गया है।
7	The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in)	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सभी शर्तों का Compliance report, Ministry के Website पर अपलोड कर दिया गया।

B: Conditions which need to be strictly complied on field after handing over of forest land to the Usr Agency by the State Forest Department but the compliance in form of undertaking shall be submitted prior to Stage – II approval:

1	Legal status of forest land proposed for diversion shall remain unchanged.	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि प्रस्तावित वन भूमि के वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्त्तन नहीं किया जायेगा।
2	The state forest department shall plant 100 trees to maintain the green cover at the project cost. Plantation site for the purpose shall	100 पौधों के रोपण हेतु 10 वर्षीय प्राक्कलन की राशि प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा जमा करा दी गयी है। अंतिम स्वीकृति के उपरांत उक्त कार्यों को वन विभाग के द्वारा किया जायेगा।
3	Additional amount of NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि प्रस्तावित वन भूमि के लिये अगर NPV की राशि में किसी प्रकार की वृद्धि या संशोधन होती है, तो उसका भुगतान करेंगे।

4	The approach road to petrol pump/ fuel station should be as per …….	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्त्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
a	Fuel station should generally be part of rest area complex having	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्त्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
b	Suitable signs and markings showing the location of the fuel	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्त्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
c	Entire Periphery of the retail outlet should be lined up with	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्त्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
d	Suitable plantations should be raised by the user agency along	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्त्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
5	Wherever possible and technically feasible, the User Agency ……….	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्त्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
6	The User Agency shall ensure that the loaboures and staff engaged	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्त्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
7	The lay out plan of the proposal shall not be changed without	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्त्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
8 (a)	The forest land shall not be used for any purpose other than	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्त्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
(b)	The period of diversion under this approval shall be ………	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्त्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
(c)	The forest land proposed to be diverted shall under ……………	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्त्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
9	Any other conditions that the Ministry of Environment, ……	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्त्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।

इस प्रकार प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति (Stage- I) में अधिरोपित सभी शर्त्तों का अनुपालन किया गया है।

अतः अनुरोध है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय से विषयाधीन परियोजना में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत् 0.021 हे० सुरक्षित वन घोषित पथ किनारे की भूमि के अपयोजन हेतु अंतिम स्वीकृति (Stage – II) निर्गत करने का अनुरोध करने की कृपा की जाय। **प्रस्ताव पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF), बिहार का अनुशंसा प्राप्त है।**

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन,
ह०/–
(अरविन्दर सिंह)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा),
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

ज्ञापांक– FC/76/2021- 727 दिनांक– 16/10/2023

प्रतिलिपि : वन संरक्षक, सीवान अंचल, सीवान /वन प्रमंडल पदाधिकारी, सारण वन प्रमंडल, छपरा एवं श्री अजय कुमार अकेला, पिता–स्व. परमेश्वर राम, ग्राम+पोस्ट–प्रतापटांड, थाना–भगवानपुर, जिला–वैशाली, पिन–844123 को सूचना हेतु प्रेषित।

16/10/23

(अरविन्दर सिंह)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

Email-apccfcampa.bih@gmail.com; मो० 9473191728

Proforma

<table>
<tr><td>1</td><td>Name of Regional Office</td><td>Eastern Region, Ranchi</td></tr>
<tr><td>2</td><td>State/Distt./ Forest Division to Which the proposal Relates</td><td>Bihar/Saran/ Saran Forest Division, Chhapra.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Name of User Agency nature of proposal</td><td>Shree Ajay Kumar Akela/ BPCL Retail Outlet</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Extent of forest area involved</td><td>0.021 Ha.</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Whether Original, or extension</td><td>Original</td></tr>
<tr><td>6</td><td>If extension of lease, Pl clarify if proposal involves additional forest area, and if so, specify</td><td>-NA-</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Date of 1st stage Clearance</td><td>18.10.2022</td></tr>
<tr><td>8</td><td colspan="2">Extent of CAMPA charges head wise viz.</td></tr>
<tr><td></td><td>a.Compensatory Afforestation</td><td>8,65,161.00</td></tr>
<tr><td></td><td>b. Additional CA</td><td>-NA-</td></tr>
<tr><td></td><td>C. Penal CA</td><td>-NA-</td></tr>
<tr><td></td><td>d. Catchment Area Treatment</td><td>-NA-</td></tr>
<tr><td></td><td>e. Wildlife Management Plan</td><td>-NA-</td></tr>
<tr><td></td><td>f. Additional Charges for diversion of area falling under notified/Protected areas</td><td>-NA-</td></tr>
<tr><td></td><td>g. Net present Value</td><td>20,113.00</td></tr>
<tr><td></td><td>h. Any other charges/Levies (Pl Specify)</td><td>-NA-</td></tr>
<tr><td>9</td><td>Details of Bank RTGS/NEFT head-wise against items indicated in paragraph</td><td>
<table>
<tr><th>S.No</th><th>MODE Remtt.</th><th>UTR No. & Date</th><th>Amount</th><th>Head</th></tr>
<tr><td>1</td><td rowspan="2">e-challan</td><td rowspan="2">PUNBR52023092619335343 dt. 26.09.2023</td><td>20,113/-</td><td>NPV</td></tr>
<tr><td>2</td><td>8,65,161/-</td><td>CA</td></tr>
<tr><td colspan="3">Total-</td><td>8,85,274/-</td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10</td><td>Whether deposited by RTGS, if so, the particulars & date of remittance</td><td>As above.</td></tr>
<tr><td>11</td><td>Bank in which deposited, with date of deposition.</td><td>All above e-challan sent to Union Bank of India, Bengaluru on dt. 26.09.2023</td></tr>
<tr><td>12</td><td>Any other remarks</td><td></td></tr>
</table>

(Arvinder Singh)
Signature of APCCF (CAMPA)-
cum-Nodal Officer (FC), Bihar.

Email-apccfcampa.bih@gmail.com; मो० 9473191728

सेवा में,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

877
04/10/2023

(55)

दिनांक– 27.09.2023

विषय– श्री अजय कुमार अकेला द्वारा सारण जिलान्तर्गत देवरिया मौजा के खाता संख्या–313, खेसरा संख्या–1366, थाना संख्या–264, थाना–रिविलगंज में NH-85 (New NH-531) छपरा–सीवान पथ के किनारे BPCL का रिटेल आउटलेट स्थापित करने के क्रम में पहुँच पथ निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.021 हे. वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करने के संबंध में।

प्रसंग– आपका पत्रांक 669, दिनांक 19.09.2023

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संबंध में कहना है कि विषयान्तर्गत प्रस्ताव पर भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची के पत्रांक FP/BR/Approach/143991/2021/625, दिनांक 18.10.2022 द्वारा दो भागों में (A में 1–7 शर्त एवं B में 1–9 शर्त) सैद्धांतिक स्वीकृति दी गयी है। उक्त का अनुपालन प्रतिवेदन निम्नवत् समर्पित कर रहा हूँ–

भाग–A: Conditions which need to be complied prior to handing over of forest land by the Stae Forest Department.

1. हरितावरण को बनाये रखने हेतु 100 वृक्षों के रोपण की 10 वर्षीय प्राक्कलन की राशि रू. 8,65,161.00 को मेरे द्वारा बिहार राज्य के लिये निर्धारित, BIHAR CAMPA A/c No. 1506270143991266, Union Bank of India, Bengaluru में फंड ट्रांसफर कर दिनांक 26.09.2023 को जमा करा दी गई है, जिसका UTR No.- PUNBR52023092619335343 है, जो Ministry website पर प्रदर्शित है। (मूलप्रति संलग्न)।

2. NPV के मद में मेरे द्वारा द्वारा 0.021 हे० अपयोजित होने वाली वन भूमि के लिये रू० 9,57,780/– प्रति हे० की दर से कुल रू० 20,113/– को बिहार राज्य के लिये निर्धारित, BIHAR CAMPA A/c No. 1506270143991266, Union Bank of India, Bengaluru में फंड ट्रांसफर कर दिनांक 26.09.2023 को जमा करा दी गई है, जिसका UTR No.- PUNBR52023092619335343 है, जो Ministry website पर प्रदर्शित है। (मूलप्रति संलग्न)।

3. मेरे द्वारा क्षतिपूरक वनरोपण एवं NPV की राशि को e-challan के माध्यम से फंड ट्रांस्फर कर Union Bank of India, Bengaluru के खाता में दिनांक 26.09.2023 को जमा करा दी गयी है तथा उक्त राशि Ministry website पर प्रदर्शित है।

4. जिला पदाधिकारी, सारण द्वारा निर्गत FRA-2006 प्रमाण–पत्र पूर्व में विभाग को उपलब्ध करा दिया गया है।

5. वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षिरित टोपोशीट नक्शा को मंत्रालय के वेबसाईट पर अपलोड कर दिया गया है।

6. मेरे द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है।

7. मेरे द्वारा सभी शर्तों का Compliance report, Ministry ds Website- http://parivesh.nic.in पर अपलोड कर दिया गया है।

(54)

भाग–B: **Conditions which need to be strictly complied on field after handing over of forest land to the Usr Agency by the State Forest Department but the compliance in form of undertaking shall be submitted prior to Stage – II approval:**

1. अपयोजित होने वाली वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्त्तन नहीं करूगा।
2. इन शर्त्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
3. मेरे द्वारा वचनबद्धता दी गयी है कि प्रस्तावित वन भूमि के लिये अगर NPV की राशि में किसी प्रकार की वृद्धि या संशोधन होता है तो, उसका भुगतान करेंगे।
4. इन शर्त्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।

a. इन शर्त्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।

b. इन शर्त्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।

c. इन शर्त्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।

d. इन शर्त्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।

5. इन शर्त्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
6. इन शर्त्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
7. इन शर्त्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
8. (a) इन शर्त्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।

(b) इन शर्त्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।

(c) इन शर्त्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।

9. इन शर्त्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।

इस प्रकार मेरे द्वारा सभी शर्त्तों का अनुपालन कर दिया गया है। अतः अनुरोध है कि मेरे द्वारा समर्पित परियोजना पर अन्तिम स्वीकृति प्रदान करने की कृपा की जाय।

अनु०–यथोक्त

विश्वासभाजन

अजय कुमार 'अकेला'

(अजय कुमार अकेला)
पिता–स्व. परमेश्वर राम,
ग्राम+पोस्ट–प्रतापटांड,
थाना–भगवानपुर, जिला–वैशाली,
पिन–844123

3:55 PM

(53)

AGENCY COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India

आंध्रा Andhra | Corporation

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 19-09-2023

Agency Name.	AJAY KUMAR AKELA
Application No.	70143991266
MoEF/SG File No.	FP/BR/APPROACH/143991/20
Location.	BIHAR
Address.	Mr. Ajay Kumar Akela, S/o Late Parmeshwar Ram Vill+Post Prataptand PS- Bhagwanpur, District VaishaliVaishali
Amount(in Rs)	885274/-

Amount in Words :Eight Lakh Eighty-Five Thousand Two Hundred and Seventy-Four Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	BIHAR CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	1506270143991266 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre,21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Note:After making the required payment through
even after 7 working days, then kindly mail a cop
id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank , epur
ubin0903710@unionbankofindia.bank

UTR NO - PUNBR52023092619335343

https://forestsclearance.nic.in/useraccount/Neft_ChallanCorp.aspx?

कार्यालय, जिला पदाधिकारी, सारण, छपरा के तहत रैखिक परियोजना निर्माण हेतु (49)

FRA 2006 का प्रमाण पत्र

(भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 28.10.2014 को निर्गत दिशा निर्देश के तहत)

संख्या 1031 दिनांक 05/08/2023

प्रयोक्ता एजेंसी श्री अजय कुमार अकेला, पिता-स्व0 परमेश्वर राम, ग्रा0+पो0-प्रतापटॉड़, थाना-भगवानपुर, जिला-वैशाली द्वारा सारण जिला अन्तर्गत मौजा-देवरिया (Deoriya), खाता नं0-313, खेसरा सं0-1366, थाना-रिविलगंज, थाना नं0-264, जिला-सारण में **भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का रिटेल आउटलेट** स्थापित करने के लिए पहुँच पथ निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत रैखिक परियोजना के लिए 0.021 हे0 वन भूमि के अपयोजन (Diverson) हेतु समर्पित आवेदन पत्र के आलोक में वन प्रमंडल पदाधिकारी, सारण वन प्रमंडल, छपरा के पत्रांक-238 दिनांक-22.02.2023 के द्वारा ग्राम पंचायत राज टेकनिवास, प्रखंड-रिविलगंज के ग्राम सभा की प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु प्राप्त कराया गया, जिस पर अनुमंडलीय वनाधिकार समिति, सदर छपरा के ज्ञापांक-19/आर0सी0 दिनांक-16.05.2023 द्वारा अनुमोदन प्राप्त है। इस आधार पर जिला वनाधिकार समिति के ज्ञापांक-997/आ0 दिनांक-28.07.2023 के द्वारा सर्वसम्मति से संशोधित FRA, 2006 प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु निर्णय संसूचित किया गया है। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत वन भूमि अपयोजन हेतु वनाधिकार अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र निर्गत करने संबंधी अधिसूचना संख्या-190 E दिनांक-16.02.1994 के अनुसार FRA, 2006 प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाता है।

तद्आलोक में प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित रैखिक विकास परियोजना (कंडिका-1 में वर्णित) के लिए अपयोजित होने वाली भूमि पर अवस्थित वृक्षरोपण दिनांक-13.12.2015 के पूर्व 75 वर्षों से कम अवधि में वन भूमि के रूप में अधिसूचित किया गया है और परियोजना क्षेत्र के गांवों में अनुसूचित जनजाति की अभिलिखित आबादी नहीं है।

जिला अनुसूचित पदाधिकारी सारण, छपरा	अपर समाहर्त्ता सारण, छपरा	वन प्रमंडल पदाधिकारी सारण वन प्रमंडल, छपरा	जिला पदाधिकारी सारण, छपरा

OR

Certified That Forest Land proposed to be diverted is a plantation which was notified as "forest" less than 75 years prior to the 13th day of December 2015 and is located in villages having no recorded populations of Scheduled Tribes.

जिला अनुसूचित पदाधिकारी सारण, छपरा	अपर समाहर्त्ता सारण, छपरा	वन प्रमंडल पदाधिकारी सारण वन प्रमंडल, छपरा	जिला पदाधिकारी सारण, छपरा

(48)

Form-1
(For Linear Project)
Government of Bihar
Office of the District Collector Saran

****

No………… Dated…………………

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In Compliance of the Ministry of Environment and Forest (MoEF), Government of India's Letter No11-19/98 EC(Pt) Dated.3rd August 2009 Where in the MoEF issued Guidelines on submission to evidence for having initiated and completed the process of settlement of rigits under the Scheduled Tribes and other Traditional forest Dwellers (Recognition of forest Rights) Act. 2006 ('FRA', for Short) on the Forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MOEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects. It is certified that 0.021 Hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Bharat Petroleum Corporation Limited, Muzaffarpur (Name of user Agency) for Retail Outlet (proposed for diversion of forest land) in Saran District fall within jurisdiction of Deoriya village (s) in Rivilganj tehsils.

It is further certified that

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire. 0.021 Hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of consulations and meeting of the forest rights committee(s). Gram Sabha(s), Sub-Division Level-Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 1 to 3

(b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as Requied under section 3(2) of the FRA have been Completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.

(c) The proposal does not involve recognized rights of Primitive tribal groups and pre agricultural communities.

Encl, : As above

DSO Saran, Chapra	ADM Saran, Chapra	DFO Saran	District Magistrate Saran, Chapra

अमन समीर, भा0प्र0से0, जिलाधिकारी, सारण की अध्यक्षता में (गैर रेखिव परियोजना निर्माण हेतु) दिनांक–26.07.2023 को वन प्रमंडल पदाधिकारी सारण वन प्रमंडल, छपरा, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सारण, अनुमंडल पदाधिकारी, सदर छपरा एवं जिला कल्याण पदाधिकारी, सारण की संयुक्त बैठक में (FRA 2006) प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विमर्शोपरान्त लिये गये निर्णय के संबंध में।

उपस्थिति :– पंजी के अनुसार।

सर्वप्रथम सारण जिलान्तर्गत अंचल–रिविलगंज मे मौजा–देवरिया, थाना–रिविलगंज खाता नं0–313, खेसरा नं0–1366, थाना नं0–264, BPCL एवं अंचल–रिविलगंज में मौजा–भादप रेवेलगंज, थाना–रिविलगंज, खाता नं0–104, 79, खेसरा नं0–381, 382, थाना नं0–21(जिला–सारण में HPCL का रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पंप) स्थापित करने हेतु अपयोजित होने वाले भूमि का FRA, 2006 प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई। तद्आलोक निम्नलिखित निर्णय लिये गये:–

प्रस्ताव संख्या :–01 अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, छपरा के ज्ञापांक–19/आर0सी दिनांक–16.05.2023 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि दिनांक–02.12.2022 को ग्राम पंचाय राज टेकनिवास के ग्राम पंचपतरा के सामुदायिक भवन पर आयोजित ग्राम सभा में प्रस्ताव सं0–0 अंतर्गत श्री अजय कुमार अकेला पिता स्व0 परमेश्वर राम, ग्रा0+पो0–प्रतापरॉड, थाना–भगवानपु जिला–वैशाली BPCL से संबंधित प्रस्ताव ग्राम सभा में उपस्थित सदस्यों के सामने रखा गया BPCL आउटलेट के स्थापना देवरिया, खाता नं0–313, खेसरा नं0–1366, अंचल–रिविलगंज में ग्रा सभा के द्वारा इस प्रस्ताव को ध्वनि मत से पारित किया गया। साथ ही साथ ग्राम सभा द्वा बताया गया कि इस पंचायत (टेकनिवास) में **अनुसूचित जनजाति (आदिवासी) के सदस्यों व संख्या शून्य है।** इसलिए इस प्रस्ताव से ग्राम के किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति नही है एवं ही अनुसूचित जनजाति के अधिकारों का हनन होता है।

अतः अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, छपरा से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक अंचल–रिविलगंज मे मौजा–देवरिया, थाना–रिविलगंज, खाता नं0–313, खेसरा नं0–1366, था नं0–264, BPCL का रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पंप) स्थापित करने हेतु अपयोजित होने वाली भू का संशोधित FRA, 2006 प्रमाण पत्र निर्गत करने का समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लि जाता है।

प्रस्ताव संख्या :–02 अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, छपरा के ज्ञापांक–20/आर0सी दिनांक–16.05.2023 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि दिनांक–26.12.2022 को ग्राम पंचाय राज मोहब्बत परसा में आयोजित ग्राम सभा में प्रस्ताव सं0–01 अंतर्गत श्री राणा प्रताप सिंह पि श्री कौशल कुमार सिंह, ग्रा0+पो0–डुमरी, थाना–मॉझी, जिला–सारण HPCL पेट्रोल पंप से संबंधि प्रस्ताव ग्राम सभा के समक्ष रखा गया। अधिस्थापित ग्राम भादपा, खाता नं0–104, 79, खेस नं0–381, 382, थाना नं0–210, थाना–रिविलगंज, अंचल–रिविलगंज, जिला–सारण, ग्राम पंचा राज मोहब्बत परसा के ग्राम सभा द्वारा इस प्रस्ताव को ध्वनि मत से पारित किया गया है। इ

(46)

प्रस्ताव पर किसी को कोई आपत्ति नही है। प्रखंड विकास पदाधिकारी, रिविलगंज के प
सख्या–414 दिनांक–23.03.2023 एवं ग्राम पंचायत राज मोहब्बत परसा, प्रखंड–रिविलगंज के मुखिया श्रीमती रेखा मिश्रा द्वारा स्पष्ट किया गया है कि उक्त पंचायत **अनुसूचित जनजाति/आदिवासी नही है।** अतएव ग्राम सभा द्वारा पारित प्रस्ताव के आलोक अनुमंडल वनाधिकार समिति सदर, छपरा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उक्त पंचाय में रिटेल आउटलेट खोलने में किसी को कोई आपत्ति नही है।

अतः अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, छपरा से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक अंचल–रिविलगंज में मौजा–भादपा, रेवेलगंज, थाना–रिविलगंज, खाता नं0–104, 79, खेस नं0–381, 382, थाना नं0–210, जिला–सारण में HPCL का रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पंप) स्थापि करने हेतु अपयोजित होने वाली भूमि का FRA, 2006 प्रमाण पत्र निर्गत करने का समिति द्वा सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाता है।

सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

26/07/23   26/07/23

जिला कल्याण पदाधिकारी,
सारण, छपरा।

अनुमंडल पदाधिकारी,
सदर, छपरा।

जिला आपूर्ति पदाधिकारी,
सारण, छपरा।

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
सरण वन प्रमंडल, छपरा

जिला पदाधिकारी,
सारण, छपरा

ज्ञापांक 997 /आ0 दिनांक 28-7-23

प्रतिलिपिः– सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

जिला कल्याण पदाधिकारी,
सारण, छपरा।

अनुमंडल पदाधिकारी,
सदर छपरा।

जिला आपूर्ति पदाधिकारी,
सारण, छपरा।

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
सरण वन प्रमंडल, छपरा

जिला पदाधिकारी,
सारण, छपरा

45

श्री संजय कुमार राय अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर छपरा की अध्यक्षता में दिनांक–16.05.2023 को आयोजित अनुमण्डल स्तरीय वनाधिकार समिति की सम्पन्न बैठक की कार्यवाही :-

1. उपस्थितिः- पंजी में दर्ज है।

2. सर्वप्रथम बैठक में उपस्थित अनुमण्डल कल्याण पदाधिकारी सदर, छपरा-सह-सदस्य वनाधिकारी समिति, सदर छपरा/श्री बाके पासवान, वनों के क्षेत्र पदाधिकारी, सारण, छपरा-सदस्य/रम्भा कुमारी 14-जिला परिषद् सदस्य (सा0-फकुली, प्रखण्ड-सदर जिला- सारण, छपरा)-सह-सदस्य, वनाधिकारी समिति, सदर छपरा/श्री मुकेश कुमार राम 34-जिला परिषद सदस्य (सा0-कैतुका नंदन, प्रखण्ड-मकेर जिला-सारण, छपरा) -सह-सदस्य, वनाधिकारी समिति, सदर छपरा का स्वागत करते हुए बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गई। आशा कुमारी 37-जिला परिषद् सदस्य (सा0-कमालपुर, प्रखण्ड-गरखा, जिला-सारण, छपरा)-सह-सदस्य, वनाधिकारी समिति, सदर छपरा निजी कार्य होने के कारण बैठक में उपस्थित नही हुई।

प्रस्ताव संख्या-01 अध्यक्ष द्वारा अपर समाहर्ता, सारण, छपरा के पत्रांक-217/आपूर्ति दिनांक-01.03.2023 द्वारा मौजा देवरियां, खाता नं0-313, खेसरा नं0-1366, थाना नं0-264, थाना रिविलगंज, जिला सारण पर रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) स्थापित करने हेतु अनापति प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने हेतु अनुमण्डल स्तर की वनाधिकार समिति से संबंधित प्रतिवेदन स्पष्ट अनुशंसा के साथ उपलब्ध कराने हेतु प्राप्त है। जिसके आलोक में इस कार्यालय के पत्रांक-305 दिनांक-07.03.2023 द्वारा प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, रिविलगंज से ग्राम सभा में पारित प्रस्ताव की कार्यवाही की प्रति की मांग की गई। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, रिविलगंज द्वारा अपने पत्रांक-413 दिनांक-23.03.2023 से ग्राम सभा में पारित प्रस्ताव की कार्यवाही की छायाप्रति एवं अनापति प्रमाण-पत्र उपलब्ध करायी गई है। जिससे उपस्थित सभी सदस्यगण को अवगत कराया गया।

2. दिनांक-02.12.2022 को ग्राम पंचायत राज टेकनिवास के ग्राम पंचपतरा के समुदायी भवन पर ग्राम सभा आयोजित किया गया था। ग्राम सभा में प्रस्ताव संख्या-01 अन्तर्गत श्री अजय कुमार अकेला, पिता स्व0 परमेश्वर राम, ग्राम+पो0प्रतापरॉड, थाना भगवानपुर, जिला वैशाली BPCL से संबंधित प्रस्ताव ग्राम सभा में उपस्थित सदस्य के सामने रखा गया। BPCL आउटलेट के स्थापना देवरिया खाता नं0-313, खेसरा सं0-1366, अंचल रिविलगंज में ग्राम सभा के द्वारा इस प्रस्ताव को ध्वनि मत से पारित किया गया। साथ ही साथ ग्राम सभा द्वारा बताया गया कि इस पंचायत (टेकनिवास) में अनुसूचित जनजाति (आदिवासी) के सदस्यों के संख्या शून्य है। इसलिए इस प्रस्ताव से ग्राम के किसी भी व्यक्ति को कोई आपति नही है एवं न ही अनुसूचित जनजाति के अधिकारों का हनन होता है।

अतः ग्राम सभा द्वारा पारित प्रस्ताव के आलोक में अनुमण्डल वनाधिकार समिति, सदर छपरा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उक्त पंचायत में रिटेल आउटलेट खोलने में अनुसूचित जनजाति का अधिकार का हनन नही होता है।

अन्ततः समिति के सदस्यों द्वारा प्रस्ताव को अनुमोदित करते हुए अध्यक्ष द्वारा सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

अनुमंडल कार्यालय सदर, छपरा

Confi Sec.

(५४)

आशा कुमारी-37
जिला परिषद, सदस्य
श्रीमती सुषमा कुमारी-देवी,
वनों क्षेत्र पदाधिकारी

श्री मुकेश कुमार राम-34
जिला परिषद्, सदस्य
अनुमण्डल कल्याण पदाधिकारी
सदर, छपरा।

रम्भा कुमारी-14
जिला परिषद, सदस्य
अनुमण्डल पदाधिकारी
सदर, छपरा।

ज्ञापांक....19..../आर0सी0 दिनांक- 16 मई, 2023

प्रतिलिपिः-सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः-वन क्षेत्र पदाधिकारी, सारण, छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः-जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सारण, छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः-जिला पदाधिकारी, सारण, छपरा को सादर सूचनार्थ समर्पित।

अनुमण्डल पदाधिकारी,
सदर, छपरा।

Confi Sec.

(43)

...यत राज टेकनिवास

प्रखण्ड-रिविलगंज (सारण)

... दवी
मुखिया
ग्राम पंचायत राज टेकनिवास

पत्रांक 137...
दिनांक : 09/02/...

प्रमाणित किया जाता है कि अजय कुमार अकेला पिता... परमेश्वर राम ग्राम+पो० - प्रतापटाँड थाना - भगवानपु... जिला - वैशाली के निवासी हैं। B.P.C.L के द्वारा ... पेट्रोलियम का आउटलेट टेकनिवास पंचायत के ... मौजा में खोला जाना है। अजय कुमार अकेला ... नाम से मौजा टेकरिया खाता सं० 313 खेसरा सं... की भूमि पर पेट्रोल पंप अधिस्थापित किया जा स... उक्त प्रस्तावित भूमि पर अनुसूचित जनजाति ... संख्या शून्य है। हमारे पंचायत क्षेत्र में अनुसूचि... जनजाति की आबादी नहीं है। प्रस्तावित स्थल ... मुख्य मार्ग 531 (NH) से सटा हुआ है। उक्त स्... पर पेट्रोल पंप होने से पंचायत को किसी प्रकार ... कोई आपत्ति नहीं है।

हीरा देवी
मुखिया
ग्राम पंचायत राज टेकनिवास
प्रखण्ड- रिविलगंज (सारण)

प्राप्तांक 365
दिनांक 16-2-23

42

आज दिनांक 05/2/2022 को ग्राम पंचायत राज हैकनिवास के सामुदायिक भवन पर मुखिया गीता देवी के अध्यक्षता में ग्राम सभा का आयोजन किया। जिसमें निम्न सामिल / कर्मी, 294 [illegible] लोग उपस्थित रहे। जिसमें पंचायत स्तरीय विभिन्न योजनाओं का चयन किया।

[signature] P.S.

[signature] अध्यक्ष

मुखिया
ग्राम पंचायत राज [illegible]
प्रखण्ड- [illegible]

उपस्थित कार्य-

1 [illegible]

2 आजीविका [illegible] हैकनिवास

3 दिलीप कुमार मांझी 7 वार्ड सदस्य

4 प्रमोद मांझी वार्ड सदस्य 13

5 आभा देवी - वार्ड - 10 [illegible]

6 सरोज कुमार राम 14

7 राजे रंजन वार्ड नं० 02

8. चन्द्रावति देवी वार्ड नं० 4

9. प्रियंका देवी वार्ड नं० 1

10 [illegible] वार्ड नं० - 5

(12) दुलना प्रसाद

(13) [illegible]

(14) ईश्वर राम

(15) नागेन्द्र राय L.T.I

(15) सुनैना देवी L.T.I

(16) उषमा देवी L.T.I

(17) संगीता देवी

(18) सखु देवी L.T.I

(19) ममता देवी L.T.I

(20) गीता देवी L.T.I

(21) प्रतिमा देवी

(22) पाशुपति देवी L.T.I

(24) मीरा देवी - L.T.I

(25) अम्बिका देवी L.T.I

(26) जुरनाहों खातून L.T.I

(27) आमना बिबि L.T.I

(28) गायत्री देवी L.T.I

(29) शीला देवी L.T.I

(30) प्रभावती देवी L.T.I

(31) पार्वती देवी L.T.I

(32) कृष्णा कुमार राय

(33) Neeraj Kumar Ray

(३४) बिकमा राम

(३५) कलावती देवी L.T.I

(३६) संजीव चौधरी

(३७) इन्द्रजीत राम

(३८) होरल कुमार

(३९) कलावती देवी L.T.I

(४०) बिजली कुमार चौधरी

(४१) विनोद कुमार मांझी

(४२) कृष्णा प्रसाद मांझी

(४३) रामसुन्दर प्रसाद

(11) (38)

...नारायण मांझी

(45) शशिकान्त मांझी

(46) सुनिता मांझी L.T.I

(47) राजकुमार चौधरी

(48) पंकज कुमार चौधरी

L.T.I

(50) सरिता देवी L.T.I

(51) प्रमोद ठाकुर

(52) दौलत कुमर

(53) अनिता देवी

(३४) 93

ग्राम-मारीचा शोर्ह

(55) Sanjeet Kumar Sah

(56) Vikash Kumar

(57) ब्रिज लाल महतो L.T.I

(58) तैतरी कुवँर L.T.I

(59) गिरजा देवी L.T.I

(60) भोला महतो

(61) उषा देवी

(62) विभाष कुमार

(63) सुदामा राय

(64) मु. पुष्पा देवी

(65) पिंटू साह

(66) रिंकू कुमारी

(67) उर्मिला कुँवर

(68) बिन्दु देवी

(69) देव लीला शर्मा

(70) माया देवी

(71) संदीप कुमार

(72) कृष्णा यादव

(73) अनिरुद्ध तिवारी

(114) मिथलेश पंडित

(115) शारदा देवी

(116) राज कुमार पंडित

(117) श्री प्रभुनाथ तिवारी

(118) मालती देवी

(119) Awadhesh Kumar Roy

(120)

प्रस्ताव सं०- 1.

श्री अजय कुमार अकेला पिता - स्व० परमेश्वर
ग्राम+पो० - प्रतापटाँड थाना - भगवानपुर, जिला
वैशाली, B.P.C.L से संबंधित प्रस्ताव ग्राम
सभा में उपस्थित सदस्य के सामने रख
गया। B.P.C.L के आउटलेट के स्थापना मौ

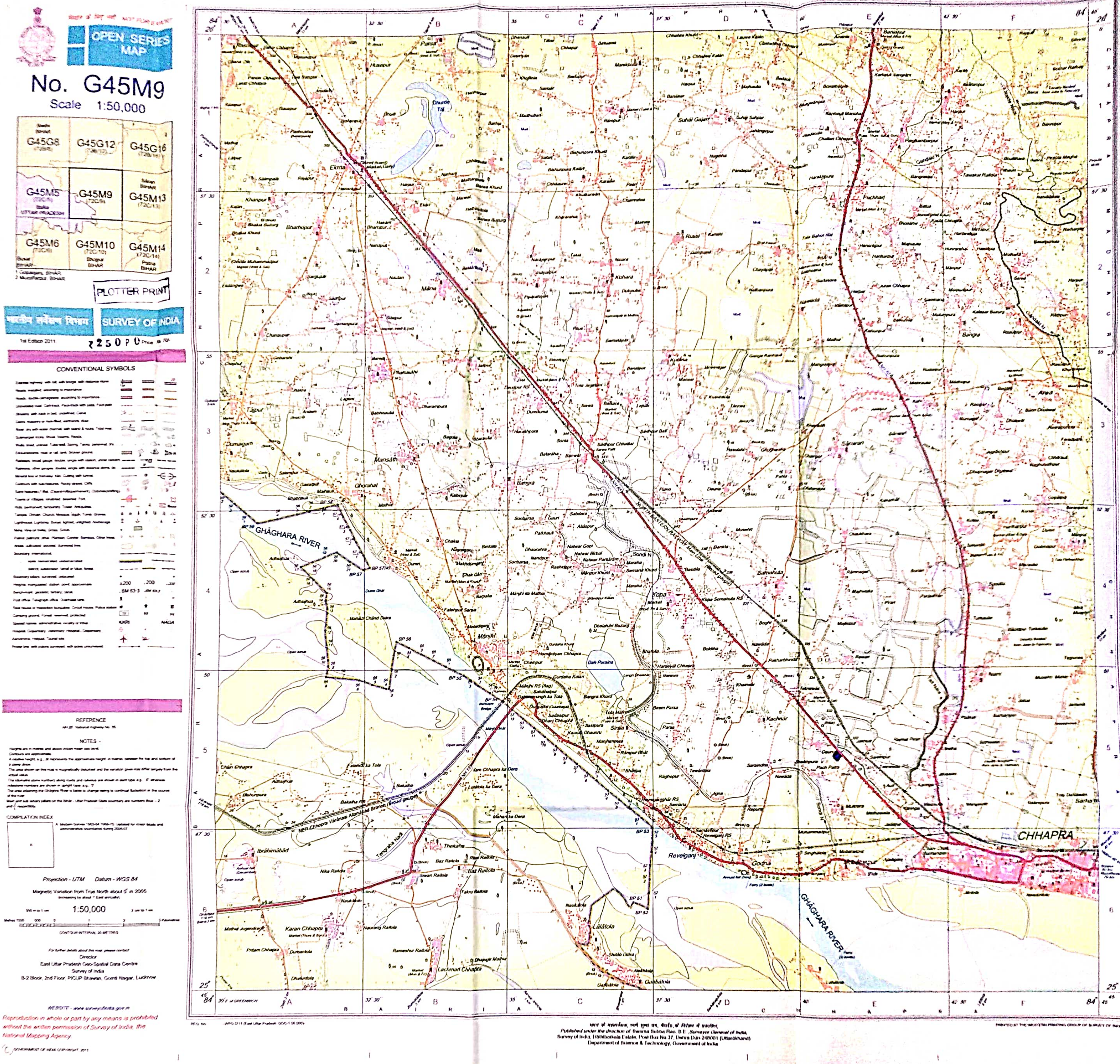

Divisional Forest Officer
Saran Forest Division, Chapra